दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित : 13 दिसंबर, 2023
निर्णय उद्घोषित : 2 मार्च, 2024

सि.वा.(वाणिज्यिक) 668/2018

डॉ. बृज मोहन गांधी ..... वादी

द्वारा: श्री नवदीप सिंह, अधिवक्ता।

बनाम

मेसर्स एम्प्रोसेल क्लिनिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ..... प्रतिवादी

द्वारा: श्री पंकज भगत, श्री सदरे आलम, सुश्री प्रेरणा रमन व श्री ऋत्विक प्रसाद, अधिवक्तागण।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

निर्णय

न्या. नीना बंसल कृष्णा

अं.आ. 6003/2021 *(आदेश VII नियम 11 सहपठित सि.प्र.स. की धारा 151 के तहत प्रतिवादी द्वारा वाद की अस्वीकृति हेतु)*

अं.आ. 8685/2021 *(आदेश VII नियम 11 सहपठित सि.प्र.स. की धारा 151 के तहत प्रतिवादी द्वारा वाद की अस्वीकृति हेतु)*

1. वर्तमान आवेदन आदेश VII नियम 11 सहपठित सि.प्र.स. *(इसके बाद* "सीपीसी, 1908" *के रूप में संदर्भित)* की धारा 151 के तहत आवेदक/प्रतिवादी द्वारा वाद को अस्वीकार करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।

2. वादी का मामला *जैसा* कि *उनके वादपत्र* में कहा गया है, यह है कि दिनांक 04.09.2006 और 08.09.2006 के नियुक्ति पत्र के माध्यम से, प्रतिवादी कंपनी जो मेसर्स सिटी फार्म के/एस, कोपेनहेगन, डेमार्क और लोक-बीटा फार्मास्यूटिकल्स (आई) प्रा. लि. मुंबई, के बीच एक संयुक्त उद्यम है, ने उन्हें कंपनी की बौद्धिक सेवा के रूप में 3% शेयरों और निदेशक पद की पेशकश की। तदनुसार, उन्हें लोक-बीटा फार्मास्यूटिकल्स इंडियन लिमिटेड (प्रतिवादी कंपनी की एक शेयरधारक) द्वारा 21,588 शेयर जारी किए गए थे, जो कुल समादत्त पूंजी का सिर्फ 0.888% था।

3. वादी के अनुसार, जब उसने प्रतिवादी कंपनी के द्वारा सरकारी और कानूनी नियमों का अननुपालन न किए जाने के बारे में उसके अन्य सदस्यों के साथ बात की, तो उसके विरुद्ध कंपनी अधिनियम, 1956 कि धारा 284 (*अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 169*) के तहत उसे हटाने के लिए एक विशेष नोटिस जरी कर दिया गया। हालांकि, यह नोटिस वादी को नहीं दिया गया था। इसके बाद, दिनांक 24.10.2012 को उन्हें संक्षेप: और गैर कानूनी रूप से

निदेशक के पद से सेवान्मुक्त कर दिया गया जिसने कथित रूप से उद्योग जगत में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया था।

4. अतः वादी ने, *प्रतिवादी कंपनी के 51,273 शेयरों के मूल्य के लिए धन की वसूली साथ ही साथ प्रतिवादी कंपनी में उनके निदेशक पद की समाप्ति के कारण हुए प्रतिष्ठा के नुकसान के लिए मुआवजे हेतु वर्तमान वाद दायर किया।*

5. आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत **आवेदन में प्रतिवादी/आवेदक ने**, एक अभिवचन किया है कि ***वाद अपेक्षित पक्षकार के असंयोजन के कारण गलत है*** क्योंकि वादी ने लोक-बीटा फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड, वह संस्था जिसने उसके पक्ष में शेयर जारी किए थे, को वर्तमान वाद में पक्षकर नहीं बनाया है।

6. अस्वीकृति का दूसरा आधार यह है कि ***वाद निंदनीय रूप से परिसीमा द्वारा वर्जित है।*** वादी 31.03.2009 से 24% की दर से ब्याज के साथ 44,01,274/- रुपये की मूल राशि की मांग कर रहा है। वादी ने अपने स्वयं के प्रकथनों के अनुसार, दावा किया है कि वाद हेतुक मार्च, 2009 में उत्पन्न हुआ था, लेकिन वर्तमान वाद 27.02.2018 को दायर किया गया था, यानी लगभग नौ साल के अंतराल के बाद।

7. वादी ने यह भी अभिकथन किया है कि उसे दिनांक 24.10.2012 को कंपनी के निदेशक पद से हटा दिया गया था। वादी ने आगे दावा किया है कि

वाद हेतुक दिनांक 23.03.2013 को भी उत्पन्न हुआ था, जब प्रतिवादी ने अभिकथित रूप से 21,558 शेयरों को जारी करने की बात स्वीकार की थी। भले ही, वर्तमान वाद दायर करने के लिए वर्ष 2012-13 में वाद हेतुक उत्पन्न होना मान भी लिया जाता है, तब भी यह परिसीमा द्वारा बाधित होगा। ***इसलिए, वाद परिसीमा द्वारा निंदनीय रूप से वर्जित है।***

8. आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि वादी *परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14* के तहत लाभ का हकदार नहीं है चूंकि समापक की नियुक्ति के लिए दायर की गई कंपनी याचिका, वसूली के लिए दायर की गई याचिका नहीं थी। वसूली के लिए वाद दायर करने के उपचार पर आगे बढ़ाने के लिए कंपनी याचिका को वापस लेना, परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 के तहत शर्तों को पूरा नहीं करता है। **"या समान प्रकृति का हेतुक"** शब्दों पर पहले के शब्दों **"क्षेत्राधिकार में दोष का"** के साथ समान रूप से विचार किया जाना आवश्यक होगा। इसलिए, जहां न्यायालय के पास कंपनी याचिका पर विचार करने का क्षेत्राधिकार था, परंतु वह ऐसा नहीं करता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायालय ने क्षेत्राधिकार की अपेक्षा के समान दोष के कारण आवेदन को मंजूरी नहीं दी।

9. *नारायण अंबाजी चावन बनाम हरि गणेश नावरे*, एआईआर 1930 बॉम 505; *अजब एंटरप्राइजेज बनाम जयंत वेगोइल्स एंड केमिकल्स प्रा. लि.*, एआईआर 1991 बॉम 35; *गुरदित सिंह एवं अन्य बनाम मुंशा सिंह एवं अन्य*

एआईआर (1997) एससी 640; *यशवंत देवराव बनाम वालचंद रामचंद,* 1950 एससीआर 852 के मामलों में निर्णयों पर भरोसा किया गया है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान वाद खारिज किए जाने योग्य है।

10. वर्तमान आवेदन के प्रति **अपने उत्तर में वादी ने** प्रकथन किया है कि 1,54,10,305/- रुपए की वसूली के लिए किया गया वाद, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित कानूनी प्रावधानों का पालन किए बिना निदेशक पद से उनके अवैध निष्कासन और प्रतिवादी-कंपनी द्वारा देय प्रतिबद्ध राशि के साथ-साथ अन्य वैध बकाया का भुगतान न करने के कारण है।

11. यह कहा गया है कि प्रतिवादी ने दो पत्र जारी किए थे, एक दिनांक 04.09.2006 और एक दिनांक 08.09.2006 को यह सुनिश्चित करते हुए कि वादी को प्रतिवादी कंपनी के निदेशक के रूप में नामित किया गया था और प्रतिवादी कंपनी को प्रदान की जाने वाली वादी की बौद्धिक सेवाओं के बदले कुल समादत्त पूंजी के 3% के बराबर शेयर जारी करने का वचन दिया था। तदनुसार, प्रतिवादी कंपनी ने शुरू में वादी को 31.03.2007 तक 4200 शेयर जारी किए, जो उस समय कुल समादत्त पूंजी का 0.89% था। शेयरों की संख्या 31-03-2007 से 31-03-2008 तक बढ़ाकर 21558 कर दी गई थी, जिसने कुल समादत्त पूंजी के 3% की सीमा प्राप्त कर ली थी।

12. यह प्रस्तुत किया गया है कि इसके पश्चात, प्रतिवादी की कुल समादत्त पूंजी में घातीय वृद्धि के बावजूद, वादी को प्रदान किए गए शेयरों की संख्या

स्थिर रही। इस प्रकार, वादी को आवंटित शेयरों की कुल संख्या कुल समादत्त पूंजी का 1.77% थी, जिसे प्रतिवादी ने अपने दिनांकित 23.03.2013 के पत्र के माध्यम से स्वीकार किया है। यह भुगतान न किए गए शेयरों की स्पष्ट स्वीकारोक्ति के समान है।

13. वादी द्वारा आगे यह प्राख्यान किया गया है कि शेयरों को प्रतिवादी द्वारा एम्प्रोसेल क्लिनिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के प्रमाण पत्र के तहत अंतरित किया गया था और वादी को यह विश्वास दिलाया गया था कि अंतरण कुछ आंतरिक व्यवस्था का परिणाम था। नियुक्ति पत्र दिनांकित 08.09.2006 प्रतिवादी एम्प्रोसेल क्लिनिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के लेटर हेड पर था और पत्र प्रतिवादी कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। इसलिए, शेयरों को प्रतिवादी द्वारा अंतरित किया गया था, न कि लोक बीटा फार्मास्यूटिकल्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा। इस प्रकार, लोक बीटा फार्मास्यूटिकल्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई वर्तमान वाद के लिए *एक आवश्यक और उपयुक्त पक्षकार नहीं है*।

14. *वाद दायर करने के लिए वाद हेतुक* के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि वाद 19.02.2018 को दायर किया गया है, जिसके लिए वाद हेतुक 24.10.2012 को उद्भूत हुआ जब वादी को विशेष नोटिस दिए बिना उसके निदेशक पद से अवैध रूप से हटा दिया गया, जिससे जैविक विज्ञान बिरादरी और स्वास्थ्य सेवा उद्योग में उसकी सुस्थापित प्रतिष्ठा कलंकित हो गई।

15. दावा किया गया है कि इसके अतिरिक्त वाद हेतुक मार्च, 2013 में तब उद्भूत हुआ जब प्रतिवादी कंपनी ने बताया कि वादी प्रतिवादी कंपनी के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहा था, जबकि वास्तव में वादी केवल प्रतिवादी को कानूनी प्रावधानों के अनुपालन में लापरवाही के बारे में अवगत करा रहा था।

16. इसके बाद, वादी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत प्रतिवादी को 21.11.2015 को कानूनी नोटिस जारी किया था कि वह या तो लंबित शेयरों को आवंटित करे या उसके बदले भुगतान करे। 31.03.2015 को समाप्त हुए 2015 वित्तीय वर्ष से संबंधित आंकड़ों से, वादी ने गणना की कि वह और 32,527 अधिक शेयर प्राप्त करने का हकदार था, जिसे प्रतिवादी विभिन्न अनुस्मारक के बावजूद जारी करने या शेयरों के बदले 27,92,117/- रुपये की राशि का भुगतान करने में लगातार विफल रहा। इसने वादी को यह विश्वास करने का कारण दिया कि प्रतिवादी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ था और इस प्रकार, उन्होंने *जनवरी, 2016 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 271 और धारा 272 के तहत कंपनी याचिका दायर की।* उक्त याचिका तीन वर्ष की अवधि के भीतर दायर की गई थी जैसा कि परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 137 में प्रावधान है। हालाँकि, यह याचिका 04.08.2017 को वर्तमान याचिका में दावा की गई राशि की वसूली के लिए

सक्षम क्षेत्राधिकार के समक्ष वाद दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले ली गई थी।

17. वादी ने प्राख्यान किया है कि याचिका कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 271 और 272 के तहत एक *सिविल कार्यवाही* है जो वैध बकाया राशि का भुगतान न करने के खिलाफ एक उपचार है जो *"समान प्रकृति के हेतुक"* की परिभाषा के अंतर्गत आता है और कंपनी न्यायालय के समक्ष उक्त याचिका को दायर में लगा समय, परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 के तहत अपवर्जित होने योग्य है। *टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड बनाम इंस्पिरा आईटी प्रोडक्ट्स (पी) लिमिटेड*., 2018 एससीसी ऑनलाइन बॉम 21382; *एस.ए.एल. नारायण रो बनाम ईश्वरलाल,* एआईआर 1965 एससी 1818; *रमेश बनाम सेठ गेंदालाल मोतीलाल पाटनी* 1966 एससीआर (3) 198; *एम.पी. स्टील कारपोरेशन बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त* (2015) 7 एससीसी 58 के मामलों का सहारा लिया गया है।

18. प्रतिवादी/आवेदक ने अपने प्रत्युत्तर में प्रस्तुत किया है कि वादी द्वारा दायर की गई कंपनी याचिका स्वयं परिसीमा अवधि द्वारा वर्जित थी क्योंकि परिसमापन के लिए कंपनी याचिका की परिसीमा अवधि उस दिन से शुरू होती है जिस दिन ऋण देय हो जाता है। वर्तमान मामले में ऋण उस दिन से ही देय हो गया जिस दिन वादी को 2006 में शेयर ऑफर किए गए थे। परिसीमा

अधिनियम, 1963 की धारा 14 को पहले से समाप्त परिसीमा अवधि को प्रवर्तित करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

19. आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि, हालांकि परिसमापन कार्यवाही प्रकृति में सिविल है, यह परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 के तहत घटकों को संतुष्ट नहीं करता है। जबकि कंपनी याचिका में वादी ने केवल 27,92,117/- रुपये का दावा किया था, वर्तमान वाद में दावा 1,54,10,305/- रुपये की वसूली के लिए है। यह प्रस्तुत किया गया है कि वादी को परिसीमा अधिनियम की धारा 14 के वेश में एक नया बढ़ा हुआ दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए वादी का वाद खारिज किया किये जाने योग्य है।

20. प्रस्तुतियाँ सुनी गईं।

आवश्यक पक्षकार का कुसंयोजन :

21. वाद की अस्वीकृति के लिए प्रतिवादी द्वारा उठाया गया ***प्रथम*** आधार लोक-बीटा फार्मास्यूटिकल्स का असंयोजन है, जिसने प्रतिवादी कंपनी में रखे गए अपने शेयरों को वादी के पक्ष में अंतरित किया था।

22. स्वीकार्य रूप से, प्रतिवादी कंपनी मेसर्स सिटी फार्म के/एस, कोपेनहेगन, डेमार्क और लोक-बीटा फार्मास्यूटिकल्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के मध्य एक संयुक्त उद्यम है। यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी कंपनी एक अलग कानूनी इकाई है जिसमें 31.03.2007 तक लोक-बीटा फार्मास्यूटिकल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स सिटी फार्म के/एस 6.23% और 92.88% शेयरों के

शेयरधारक थे। शेयर लोक-बीटा फार्मास्युटिकल्स के हो सकते हैं लेकिन जैसा कि स्वीकार किया गया है उन्हें प्रतिवादी कंपनी द्वारा अंतरित किया गया था जैसा कि दिनांक 04-09-2006 और 08-09-2006 के सह-पत्र से स्पष्ट है। प्रतिवादी लोक-बीटा फार्मास्यूटिकल्स और मेसर्स सिटी फार्म के/एस का संयुक्त उद्यम है। इसलिए, भले ही शेयर लोक-बीटा फार्मास्यूटिकल्स के हैं, अर्थात *तीसरे पक्षकार का विचार हो सकता है,* लेकिन यह प्रतिवादी द्वारा दिनांक 04.09.2006 और 08.09.2006 के पत्रों के माध्यम से पक्षकारों के बीच दर्ज सेवा अनुबंध के आधार पर दिया गया था। इस प्रकार, वादी का दावा केवल प्रतिवादी कंपनी के विरुद्ध होगा, क्योंकि उन्होंने ही वादी को शेयरों के अंतरण का वादा किया था। यह तथ्य मात्र ही कि प्रतिवादी ने अपने दायित्व के एक हिस्से के पालन में शेयर दिए थे, *अनुबंध की जानकारी वादी और प्रतिवादी कंपनी के मध्य है।* इसएलिए, लोक-बीटा फार्मास्यूटिकल्स न तो एक आवश्यक पक्षकार है और न ही एक उचित पक्षकार।

23. इसलिए प्रतिवादी द्वारा ली गई यह आपत्ति मान्य नहीं है।

I. <u>वाद हेतुक :</u>

24. अन्य आधार जिस पर वाद की अस्वीकृति की मांग की गई है, वह यह है कि दावा की गई राहतें परिसीमा द्वारा वर्जित हैं। इस वाद के माध्यम से, वादी ने उन शेयरों, जिनके बारे में वह दावा करता है वह उनका हकदार है, के बदले

धन व उक्त राशि पर ब्याज की वसूली की मांग की है, और अपने निदेशक पद की समाप्ति के कारण प्रतिष्ठा की हानि के लिए मुआवजे की मांग की है।

वादी द्वारा मांगी गई राहत इस प्रकार है: -

> *क) वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के विरुद्ध 44,01,274/- रुपये (चौवालीस लाख एक हजार दो सौ चौहत्तर रुपये) की वसूली के लिए डिक्री पारित करें;*
>
> *ख) वर्षवार शेयरों के शेष के बराबर राशि पर 24% प्रति वर्ष ब्याज, जो 31.12.2017 तक 50,09,031/- होता है, और इसे प्रतिवादियों द्वारा उक्त राशि के भुगतान की वास्तविक तारीख तक का भुगतान करने का निर्देश देते हुए एक डिक्री पारित करें;*
>
> *ग) निदेशक के पद से गैरकानूनी रूप से हटाए जाने के कारण जैविक विज्ञान बिरादरी और स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में प्रतिष्ठा के नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में प्रतिवादियों को 60,00,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश देते हुए एक डिक्री पारित करें;*
>
> *घ) वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के विरुद्ध कार्यवाही की लागत अधिनिर्णीत करें।*

25. यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या वाद हेतुक परिसीमा की अवधि से परे है, वाद के प्रासंगिक पैराग्राफों को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जिसमें वाद हेतुक का वर्णन किया गया है, जो निम्नानुसार हैं :-

> *"31. वाद हेतुक जून, 2012 में उद्भूत हुआ जब प्रतिवादी कंपनी ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना बंद कर दिया और इसके बाद, नैदानिक परीक्षण के लिए भ्रूण स्रोतों से स्टेम कोशिकाओं के उपयोग के लिए भारत सरकार की एजेंसी से मंजूरी प्राप्त करने में विफल*

रहे, जिससे कंपनी और वादी पर स्वास्थ्य परिषदों द्वारा दंडात्मक कार्रवाई का खतरा पैदा हुआ।

32. वाद हेतुक 23.03.2013 को उद्भूत हुआ जब प्रतिवादी ने अपने पत्र में स्वीकार किया था कि कंपनी ने वादी को 21558 शेयर जारी किए हैं जो कंपनी की कुल समादत्त पूंजी का 1.77% है क्योंकि यह प्रतिवादी द्वारा अपने पत्र दिनांक 08.09.2006 के माध्यम से किए गए वादे के विरुद्ध है।

33. वाद हेतुक मार्च, 2013 में उद्भूत हुआ जब प्रतिवादी कंपनी ने बताया कि वादी कंपनी के हित के खिलाफ काम कर रहा था, जबकि वादी केवल कंपनी को अवगत करा रहा था कि कानूनी प्रावधान का पालन करने में उसकी लापरवाही के परिणामस्वरूप सरकार से गंभीर दंड और कार्रवाई हो सकती है।

34. वाद हेतुक तब भी उद्भूत हुआ जब वादी को कंपनी अधिनियम 1956 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 169) की धारा 284 की उप-धारा 3 के तहत अपेक्षित उसे हटाने हेतु विशेष नोटिस नहीं दिया गया था और इसलिए उसे उक्त धारा के तहत उसके निष्कासन के किसी भी प्रस्ताव को पारित करने से पूर्व अभ्यावेदन करने के कानूनी अधिकार से वंचित किया गया था।

35. वाद हेतुक 24.10.2012 को उद्भूत हुआ जब वादी को निदेशक के कार्यालय से संक्षेपतः और गैरकानूनी रूप से सेवामुक्त कर दिया गया था क्योंकि इसके परिणामस्वरूप जैविक विज्ञान बिरादरी और स्वास्थ्य देखभाल उद्योग के बीच उसकी प्रतिष्ठा को गंभीर धब्बा लगा है।

26. यह वादी का मामला है कि वसूली के लिए वाद दायर करके मांगी गई सभी राहतों के लिए वाद हेतुक अक्टूबर, 2012 से मार्च, 2013 के बीच कई अवसरों पर उद्भूत हुआ। सुविधा के लिए, वर्तमान वाद दायर करने से पूर्व की घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

विशिष्टियां	घटना की तिथि
प्रतिवादी कंपनी के निदेशक के रूप में वादी की नियुक्ति	04.09.2006 और 08.09.2006
31.03.2007 को वादी को शेयरों के लिए आवंटन	4200
31.03.2008 को वादी को शेयरों का आवंटन	21,558
वादी के निदेशक-पद की समाप्ति	24.10.2012
प्रतिवादी कंपनी के समापन के लिए दायर की गई 2016 की कंपनी याचिका संख्या 609	जनवरी, 2016
कंपनी याचिका वापस लिये जाने पर खारिज	04.08.2017
वादी द्वारा वसूली के लिए दायर वाद	19.02.2018

क्या शेष शेयरों के बदले 44,01,274/- रुपये का दावा करने वाली प्रार्थना (क) के लिए वादी के पक्ष में वाद हेतुक उत्पन्न हुआ :

27. वादी ने उन शेयरों के बदले पैसे की वसूली की मांग की है जिसका वह कथित रूप से प्रतिवादी कंपनी में हकदार हैं। शेयरों के लिए एक प्रस्ताव पहली बार वादी को दिनांक 04.09.2006 के पत्र के माध्यम से दिया गया था जो निम्नानुसार है:

"दिनांक: 04/09/2006
सेवा में,
डॉ. बी.एम. गांधी,
दिल्ली

विषय: <u>हमारे संयुक्त उद्यम कम्पनी का हिस्सा बनने के संबंध में</u>

आदरणीय महोदय,

....

जैसा कि हमने उसी दिन आपकी उपस्थिति में हमारी प्रबंधन टीम के साथ चर्चा की, हमने निर्णय लिया और सहमत हुए कि शेयरों का कुछ भाग आपके नाम पर जारी किया जाएगा। *हमें एतद्द्वारा आपके पूर्ण विवरण की आवश्यकता है जिसमें शेयर जारी किए जाने हैं। एक बार जब हमे यह प्राप्त हो जाता है तो हम अपनी कंपनी में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए अपने चार्टर्ड एकाउंटेंट के साथ कार्यवाही करेंगे।* ***आपके नाम पर कितने शेयर जाएंगे, इस संबंध में इस महीने की 08 तारीख को हमारे दूसरे पत्र में इसकी पुनः पुष्टि की जाएगी।*** *हमने यह भी निर्णय लिया है कि हम आपको अपनी ओर से आवश्यक कार्य करने के लिए मासिक आधार पर दिन-प्रतिदिन के व्यय के लिए कुछ राशि प्रदान करेंगे।*

....

सादर अभिवादन,
एम्प्रोसेल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के लिए

(आलोक कुमार)
निदेशक

(वी. बाबी)
निदेशक

(ओल्गा झुले)
निदेशक
नोट: ***हम आपको इस महीने की 8 तारीख को दूसरा पत्र भेजेंगे।"***

28. उसके बाद **दिनांक 08.09.2006 के पत्र के अनुसार**, *प्रतिवादी कंपनी ने वादी की बौद्धिक सेवाओं के प्रति कुल शेयर के 3% के बराबर शेयर जारी करने का फैसला किया।* पत्र का प्रासंगिक हिस्सा नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है :

"दिनांकित: 08/09/2006

सेवा में
डॉ. बी.एम. गांधी,
दिल्ली

विषय: कंपनी में शेयर जारी करना और निदेशक की नियुक्ति करना :

प्रिय डॉ. गांधी,

*आपको यह सूचित किया जाता है कि श्री व्लादिमीर ई. बाबी और श्री विक्टर रेडचेंको, जो शेयरधारकों के प्रतिनिधि होने के साथ-साथ कंपनी एम्प्रोसेल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के नामित निदेशक भी हैं, के साथ हुई चर्चा के बाद, **आपकी बौद्धिक सेवाओं के प्रति आपके नाम पर कुल शेयर के 3% के बराबर शेयर जारी करने का निर्णय लिया गया है।** हमें विश्वास है कि कंपनी के साथ आपका जुड़ना कंपनी को हमारे द्वारा वांछित क्षेत्र में बढ़ने में मदद करेगा।*

***आपको कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने का भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है** और इस अवसर पर हम आपको निदेशक मंडल में सदस्य के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं।*

...

एम्प्रोसेल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
के लिए निदेशक मंडल की ओर से

(आलोक कुमार)
निदेशक"

29. पत्रों ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि यह *"आपकी बौद्धिक सेवाओं के प्रति आपके नाम पर कुल शेयर के 3% के बराबर शेयर जारी करने का निर्णय लिया गया है"*। वादी ने स्वयं अपने वाद में कहा है कि प्रतिवादी कंपनी ने शुरू में 31.03.2007 तक उनके पक्ष में 4200 शेयर जारी किए, जो उस समय कुल समादत्त पूंजी का 0.89% था। 31-03-2007 से 31-03-2008 तक शेयरों की संख्या बढ़कर 21,558 कर दी गयी थी जिसने कुल समादत्त पूंजी के 3% की सीमा प्राप्त कर ली थी। *वादी ने स्वयं स्वीकार किया है कि सहमती अनुसार कुल 3% शेयर, जिनकी राशि 21558 है, वादी को 31.03.2008 तक दे दिए गए थे।*

30. इसके अतिरिक्त, अपनी इस प्रस्तुती के समर्थन में वादी दिनांक 31.03.2007 से 31.12.2013 तक शेयरधारिता के स्वरूप को दिखाने वाली एक तालिका पर भरोसा करता है, कि उसके पास 31.03.2011 से 31.03.2012 तक प्रतिवादी कंपनी में केवल 1.77% का शेयर थे। तालिका को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

<u>तालिका के लिए मूल अंग्रेजी निर्णय देखें</u>

31. **प्रासंगिक रूप से, वादी के अपने दस्तावेज के अनुसार, जो 31.03.2007 से 31.12.2013 तक शेयरधारिता का स्वरूप दर्शाता है, वादी को 21,558 शेयर जारी किए गए थे, जो 31.03.2008 को प्रतिवादी कंपनी की पूरी तरह से समादत्त शेयर पूंजी का 3% था।**

32. दिनांक 04.09.2006 और 08.09.2006 के पत्रों से यह पूर्णत: स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने कंपनी की पूर्ण समादत्त शेयर पूंजी का केवल 3% जारी करने का वादा किया था और अपनी कंपनी में वादी की उक्त 3% शेयरधारिता को बनाए रखने का कभी भी वादा नहीं किया था।

33. इसके बाद वादी ने बाद के वर्षों में 3% पर सहमत शेयर पूंजी आवंटित करने में किसी भी प्रकार की कमी होने की कोई शिकायत नहीं की। वादी ने 24.10.2012 को अपने निदेशक पद की समाप्ति के बाद कथित शेष शेयरों के बदले में देय कथित राशि की वसूली का दावा करने के लिए पहली बार जनवरी, 2016 में एक कंपनी याचिका का सहारा लिया।

34. बल्कि, यह उनकी अपनी स्वीकारोक्ति है कि उन्हें वर्ष 2008 में कंपनी की शेयर पूंजी का वादा किया गया 3% प्राप्त हुआ और उसके बाद, 24.10.2012 को उसकी सेवा समाप्ति तक वादी द्वारा कोई शिकायत नहीं कि गई। स्पष्ट रूप से, वादी के स्वीकारोक्ति के अनुसार, उसे वचनबद्धता-पत्र के अनुसार 3% शेयर पूंजी दी गई थी।

35. पक्षकारों के बीच कोई समझौता नहीं था कि वादी हमेशा प्रतिवादी कंपनी की शेयर पूंजी के 3% का हकदार होगा, जिसकी गणना सालाना की जाती है। इस प्रकार, प्रतिवादी ने केवल कंपनी की पूर्ण समादत्त शेयर पूंजी का 3% जारी करने का वादा किया और कभी भी अपनी कंपनी में वादी की उक्त 3%

हिस्सेदारी को बनाए रखने का वादा नहीं किया। जैसे कि ऊपर चर्चा की गई है, न तो यह नियुक्ति पत्र दिनांकित 08.09.2006 में उल्लिखित था और न ही वादी ने अपने कार्यकाल के दौरान कंपनी की वार्षिक पूंजी के अनुसार शेयरों के लिए कभी कोई दावा किया था। यह देखा गया है कि वादी का दावा, यदि स्वीकार किया जाता है, तो एक विषम स्थिति पैदा होगी; यदि किसी दिए गए वर्ष में प्रतिवादी की अधिकृत पूंजी कम हो जाती, तो क्या वादी ने दी गई संख्या के लिए आनुपातिक संख्या में शेयर लौटा दिए होते?

36. स्पष्ट रूप से, वचनबद्धता के समय कंपनी के 3% शेयर एक बार आवंटन के रूप में दिए गए थे और वह वार्षिक समायोजन के अधीन नहीं था। इसके बाद, प्रतिवादी कंपनी ने बाद के वर्षों में नए शेयर जारी करने के माध्यम से अपनी अधिकृत पूंजी का विस्तार किया हो सकता है, और वादी की वर्तमान शेयरधारिता पूरी समादत्त पूंजी का 1.77% तक कम हुई हो सकती है; हालांकि, वचनबद्धता-पत्र की स्पष्ट शर्तों के प्रकाश में, वादी शेयरों के किसी भी अतिरिक्त आवंटन का हकदार नहीं है।

37. वादी द्वारा सहारा लिए गए दस्तावेज और वाद में उसके स्वयं के दावे, वादी के शेयरों के बदले मुआवजे के दावे को झूठा साबित करते हैं। वह न तो किसी शेष शेयर का और न ही उसके बदले में दावा की गई राशि का हकदार है। **चूंकि कंपनी के 3% शेयर 31.03.2008 को वादी के पक्ष में पहले ही जारी किए जा चुके थे, जैसा कि चार्ट में दर्शाया गया है और वादी द्वारा अपने वाद**

में भी स्वीकार किया गया है, प्रार्थना (क) के तहत शेयरों के कथित कम आवंटन के कारण 44,01,274/- रुपये की राशि की वसूली के लिए कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होता है।

38. इसके अतिरिक्त, वादी ने प्राख्यान किया है कि दिनांक 04.01.2013 या 23.03.2013 के पत्रों के मद्देनजर उसके पक्ष में एक नया वाद हेतुक बनता है, जिसमें प्रतिवादी कंपनी ने कथित रूप से स्वीकार किया था कि उन्होंने वादी को 21,558 शेयर जारी किए थे जो कंपनी की कुल समादत्त पूंजी का 1.77% है जो प्रतिवादी द्वारा किए गए वादे के प्रतिकूल है। पत्र दिनांकित 04.01.2013, जो दिनांक 04.01.2012 के पत्र का उत्तर है, का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है :

> *"प्रिय डॉ. गांधी,*
>
> *संदर्भ : आपका पत्र दिनांकित 4, जनवरी 2012*
>
> *...*
>
> *कृपया अपने आरोपों के लिए हमारे पैरा अनुसार जवाब को नीचे देखें :*
>
> ***1. ... किसी भी परिस्थिति में, जैसा कि आपके द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है, शेयरों का कथित जारी किया जाना आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ बौद्धिक सेवाओं के लिए था। <u>कंपनी ने आपको पहले ही 21558 शेयर जारी कर दिए हैं, जो कंपनी की कुल समादत्त पूंजी का 1.77% है।</u> कंपनी आपसे अनुरोध करती है कि कृपया कंपनी को आपके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का साक्ष्य प्रदर्शित और प्रस्तुत करें, जिसके बदले में***

ये शेयर जारी किए गए हैं। इसके अलावा <u>कंपनी यह भी दर्ज करती है कि 2011 से लेकर अब तक आपने कंपनी को कोई बौद्धिक सेवा नहीं दी है और न ही कंपनी के हित में काम किया है</u> और परिणामस्वरूप कंपनी स्वेट इक्विटी(श्रम-जन्य इक्विटी) के रूप में आपको कोई और शेयर जारी करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

...
भवदीय,

श्री व्लादिमीर बाबी
निदेशक"

39. यदि तर्क के लिए ही मान भी लिया जाए कि नया वाद हेतुक उपस्थित था, तो यह देखा गया है कि दिनांक 04.01.2013 या 23.03.2013 के पत्रों में कोई स्वीकृति नहीं है। उक्त पत्रों में केवल यह कहा गया है कि वादी की शेयरधारिता प्रतिवादी कंपनी की कुल समादत्त शेयर पूंजी का 1.77% थी। यह वादी द्वारा धारित शेयरों के मूल्य के बारे में एक तथ्यात्मक कथन है और इसे अधिक शेयरों के आवंटन के लिए वादी की पात्रता पर एक स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है। इन पत्रों से वादी के पक्ष में कोई नया वाद हेतुक नहीं मिलता है।

40. दिनांक 04.01.2013 के पत्र में भी परिसीमा की गणना के लिए वाद हेतुक नहीं दिया गया है।

प्रार्थना (क) के तहत दावा किए गए शेयरों की कमी हेतु मुआवजे के लिए परिसीमा :

41. वादी ने कम शेयरों के आवंटन के बदले में रु. *44,01,274/-* करोड़ का दावा किया है। यह पहले ही अभिनिर्धारित जा चुका है कि इस राशि की वसूली के लिए कोई वाद हेतुक नहीं है। हालांकि, तर्क के लिए, यदि हम दावे को मान्य मान भी लेते हैं, तो भी आगे विचार करने की आवश्यकता है कि क्या यह दावा परिसीमा के भीतर है।

42. परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के **अनुच्छेद 113** के अंतर्गत अवशिष्ट प्रावधान वर्तमान मामले पर लागू होता है, जिसमें कहा गया है कि **कोई भी वाद जिसके लिए इस अनुसूची में कहीं भी परिसीमा अवधि का प्रावधान नहीं है, परिसीमा अवधि उस समय से तीन वर्ष है जब वाद दायर करने का अधिकार उद्भूत होता है।**

43. वाक्यांश "*वाद दायर करने का अधिकार" पंजाब राज्य बनाम गुरदेव सिंह*, (1991) 4 एससीसी 1 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सारगर्भित रूप में निम्नानुसार समझाया गया था :

> *"वाद दायर करने का अधिकार" शब्द का अर्थ आमतौर पर कानूनी कार्यवाही के माध्यम से राहत पाने का अधिकार है। आम तौर पर, वाद दायर करने का अधिकार केवल तभी उद्भूत होता है जब वाद हेतुक उद्भूत होता है, अर्थात, कानूनी साधनों से राहत प्राप्त करने के लिए वाद चलाने का अधिकार। **वाद को तब संस्थित किया जाना चाहिए जब वाद में दावा किए गए अधिकार का अतिलंघन होता है** या जब प्रतिवादी, जिसके खिलाफ वाद*

दायर किया जाता है, द्वारा उस अधिकार का अतिलंघन करने के लिए एक स्पष्ट और असंदिग्ध खतरा होता है।

44. स्वीकार्य रूप से, शेयरों की पेशकश 08-09-2006 के पत्र द्वारा की गई थी और वचन अनुसार 3% शेयर 31-03-2008 तक आवंटित किए गए थे। यदि किसी प्रकार का कम शेयर आबंटन हुआ था, तो उसका दावा तीन वर्ष के भीतर अर्थात् मार्च, 2011 तक किया जाना था। यदि वादी का यह दावा स्वीकार भी कर लिया जाए कि शेयरों की मात्रा प्रतिवादी कंपनी की 24.10.2012 को उसकी सेवा समाप्ति के समय पूंजी के अनुसार निर्धारित किए जाने योग्य थी, तो भी दावा समय-बाधित है, क्योंकि वाद 19.02.2018 को दायर किया गया है, जो कि 24.10.2012 को उसकी सेवा समाप्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि से परे है।

45. इसके बावजूद कि वाद हेतुक 31.03.2008, 24.10.2012 या 23.03.2013 (जिस तारीख को वादी का दावा है कि एक नया वाद हेतुक उद्भूत हुआ है) के रूप में लिया जाता है, प्रार्थना (क) के तहत दावा स्पष्ट रूप से परिसीमा द्वारा बाधित है।

प्रार्थना (ग) के तहत अवैध सेवा-समाप्ति हेतु दावा किए गए मुआवजे के लिए परिसीमा :

46. प्रतिवादी कंपनी के निदेशक के रूप में वादी की कथित गैरकानूनी सेवा-समाप्ति के कारण 60,00,000 रुपये के मुआवजे की मांग की गई है, जिससे

कथित तौर पर जैविक विज्ञान बिरादरी और स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में वादी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।

47. उनकी सेवा-समाप्ति के खिलाफ राहत के लिए वाद हेतुक 24.10.2012 यानी सेवा-समाप्ति की तारीख को उत्पन्न हुआ। इस तरह के निर्वहन के लिए मुआवजे का दावा 24.10.2012 से तीन साल के भीतर यानी 23.10.2015 तक किया जा सकता था।

48. हालांकि, वादी ने परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 के तहत समय बढ़ाने की मांग की है। परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 का प्रासंगिक हिस्सा निम्नानुसार है: -

> *धारा 14.- **बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही में लगे समय का अपवर्जन। --***
> *(1) किसी वाद के परिसीमा काल की संगणना में उतना समय जितने समय के दौरान वादी चाहे प्रथम बार के या चाहे अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी के विरुद्ध अन्य सिविल कार्यवाही सम्यक् तत्परता से अभियोजित करता रहा है, अपवर्जित कर दिया जाएगा, जहां कि वह कार्यवाही उसी विवाद्य विषय से संबंधित हो और सद्भावपूर्वक किसी ऐसे न्यायालय में अभियोजित की गई हो जो अधिकारिता की त्रुटि या वैसी ही प्रकृति के अन्य हेतुक से उसे ग्रहण करने में असमर्थ हो।*

49. वादी ने दावा किया कि उसने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 433 के तहत जनवरी, 2016 में अपने बकाये की वसूली के लिए परिसमापन याचिका दायर की थी और 04.08.2017 को इसे वापस ले लिया था और यह अवधि

परिसीमा अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत परिसीमा अवधि की गणना के लिए अपवर्जन योग्य है।

परिसीमा अधिनियम की धारा 14 का दायरा :

50. *सूर्यचक्र पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम बिजली विभाग* (2016) 16 एससीसी 152 *के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 के तहत सिद्धांतों को लागू करने के लिए दो मुख्य कारक यह हैं कि* ***पक्षकार उचित तत्परता के साथ एक अन्य सिविल कार्यवाही का अभियोजन कर रहा हो*** *और यह कि* ***अभियोजन सद्भावनापूर्ण होना चाहिए।*** *साथ ही,* ***इसे क्षेत्राधिकार के दोष या इसी तरह के दोष के कारण वापस किया गया हो।*** यह पर्याप्त नहीं है कि एक पक्ष संतुष्ट हो; उचित तत्परता और सद्भावना दोनों को स्थापित किया जाना चाहिए।

51. *कंसोलिडेटिड इंज. इंटरप्राइजेज बनाम सिंचाई विभाग*, (2008) 7 एससीसी 169 में यह समझाया गया था कि परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 क्षेत्राधिकार न रखने वाले न्यायालय में बिताए गए वास्तविक समय को अपवर्जन योग्य बनाती है। धारा 14 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संतुष्ट की जाने वाली शर्तों को निम्नानुसार निर्धारित किया गया था :

> *"(1) पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों कार्यवाही* ***एक ही पक्षकार द्वारा*** *अभियोजित सिविल कार्यवाही हों;*
> *(2) पूर्ववर्ती कार्यवाही* ***समुचित तत्परता और सद्भावनापूर्वक*** *अभियोजित की गई थी;*

*(3) पूर्ववर्ती कार्यवाही की **विफलता क्षेत्राधिकार के दोष या इसी तरह की प्रकृति के अन्य कारण के कारण** हुई थी;*
(4) पूर्ववर्ती कार्यवाही और परवर्ती कार्यवाही एक ही मुद्दे से संबंधित होनी चाहिए; और
(5) दोनों कार्यवाही न्यायालय में चल रही हों।"

52. परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 के साधारण पठन से, यह स्पष्ट है कि धारा के तहत लाभ केवल तभी उपलब्ध होता है जब गलत न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के परिणामस्वरूप वाद की वापसी होती है या क्षेत्राधिकार के दोष या इस तरह के समान दोषों के कारण वापसी होती है।

53. *नारायण अंबाजी चावन बनाम हरि गणेश नावरे (सुप्रा)* के मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि परिसीमा अधिनियम की धारा 14 उन मामलों में लागू होती है जहां न्यायालय *क्षेत्राधिकार में दोष या इसी तरह की प्रकृति के दोष* के कारण आवेदन पर विचार नहीं कर सका। न्यायालय ने इस आधार पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि उक्त मामले में वाद के माध्यम से एक अन्य उपचार उपलब्ध था और ऐसी स्थिति में, परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 का लाभ नहीं दिया गया था।

वसूली के लिए वाद की तुलना में परिसमापन के लिए याचिका की प्रकृति और उद्देश्य:

54. परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 का लाभ उठाने के लिए, परिसमापन याचिका की प्रकृति और उद्देश्य को धारा 14 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना होगा।

55. स्पष्ट रूप से, परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, शुरू की गई कोई भी पूर्व कार्यवाही, आगामी कार्यवाही में उसी मुद्दे के संबंध में होनी चाहिए।

56. *रोशनलाल कुठालिया बनाम आर.बी. मोहन सिंह ओबेरॉय* (1975) 4 एससीसी 628 में इस न्यायालय के समक्ष **'समान प्रकृति के अन्य कारण'** की अभिव्यक्ति विचारार्थ आई और यह अभिनिर्धारित किया गया कि परिसीमा अधिनियम की धारा 14 ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए पर्याप्त रूप व्यापक है, जहां दोष पूरी तरह से क्षेत्राधिकर संबंधी नहीं हैं, लेकिन तथाकथित अन्य दोषों के कमोबेश आपस-पास हैं। कोई भी ऐसी परिस्थिति, कानूनी या तथ्यात्मक, जो गुणागुण के आधार पर न्यायालय द्वारा विवाद को ग्रहण किए जाने या इस पर विचार किए जाने को बाधित करती है, धारा के दायरे में आती है और एक उदारता भरे पुट को परिसीमा अधिनियम की व्याख्या से अवगत कराना चाहिए, जो उस व्यक्ति को उपचार से वंचित करता है जिसके पास अधिकार है। *एम.पी. स्टील कॉरपोरेशन* (पूर्वोक्त) और *वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड* (पूर्वोक्त) में इस व्याख्या का पालन किया गया था।

57. आवेदक/प्रतिवादी के अधिवक्ता ने *अजब एंटरप्राइजेज* (पूर्वोक्त) के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है, जिसमें यह माना गया था कि कंपनी याचिका को आगे बढ़ाने की अवधि को परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 के तहत बाहर नहीं रखा जा सकता है। भले ही वादी कंपनी कानून के तहत परिसमापन कार्यवाही को आगे बढ़ाने का उपचार कर रहे थे, उन्हें परिसीमा अवधि के भीतर उनको देय राशि की वसूली के लिए वाद दायर करना चाहिए था।

58. दूसरी ओर, वादी के अधिवक्ता ने *टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड बनाम इंस्पिरा आईटी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड* (पूर्वोक्त) पर भरोसा जताया है, जिसमें यह टिप्पणी की गई कि पूर्व कार्यवाही को ऋण की वसूली के लिए की गई कार्यवाही होने या यह कि दोनों कार्यवाहियों में समान राहत का दावा किया गया हो की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। किसी भी मामले में, एक परिसमापन याचिका भी एक वैध ऋण के भुगतान को लागू करने के लिए एक उपाय है क्योंकि ऐसी याचिका का अंतिम परिणाम कंपनी का परिसमापन है ताकि कंपनी की संपत्ति और लाभांश को बकाया भुगतान के लिए घोषित किया जा सके। यह भी टिप्पणी की गई कि *वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड* (पूर्वोक्त) के मामले में निष्कर्षों के मद्देनजर, *अजब एंटरप्राइजेज* (पूर्वोक्त) एक अच्छी विधि नहीं है।

59. धारा 433 और 434 के तहत "कंपनी याचिका" की प्रकृति और उद्देश्य का विश्लेषण वसूली के वाद के विपरीत करना होगा।

60. *ऋषि पाल गुप्ता बनाम एस.जे. निटिंग एंड फर्निशिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड,* 1998 (45) डीआरजे 522 के मामले में, कंपनी के प्रति वसूली के लिए वाद लंबित होने पर परिसमापन याचिका की पोषणीयता पर विचार किया गया। यह माना गया कि वसूली का वाद और परिसमापन याचिका अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। जबकि वसूली का वाद केवल याचिकाकर्ता के लिए उपयुक्त होगा, परिसमापन याचिका कंपनी के शेयरधारकों, लेनदारों और योगदानकर्ताओं को भी लाभान्वित कर सकती है।

61. इसी प्रकार, *इंडो एलुसिस इंडस्ट्रीज बनाम एसोटेक कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड* 2009 (110) डीआरजे 384 में, इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने इसी सिद्धांत को दोहराया कि जहां वसूली के लिए वाद एक *व्यक्तिबंधी* कार्यवाही है, वहीं परिसमापन याचिका एक *सर्वबंधी* कार्यवाही है। इसे आगे निम्नानुसार समझाया गया था :

> *"12. जहां तक इस आपत्ति का संबंध है कि याचिकाकर्ता ने एक वाद दायर किया है जो इसे वर्तमान याचिका को बनाए रखने के अधिकार से वंचित करता है, यह सुस्थापित है कि* ***कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 के तहत परिसमापन कार्रवाई करने का अधिकार सांविधिक रूप से प्रदत्त है।*** *तथापि, किसी भी व्यक्ति को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी के संबंध में परिसमापन का सांविधिक अधिकार नहीं है।* ***राशियां वसूलने और कंपनी के***

परिसमापन की कार्रवाई दो पूरी तरह से भिन्न और स्वतंत्र उपाय हैं। यह आवश्यक नहीं है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 के तहत प्रत्येक याचिका का परिणाम परिसमापन आदेश हो। *प्रार्थना किए गए आदेश की प्राप्ति से पूर्व सार्वजनिक हित, न्याय और सुविधा के रूप में कई आवश्यक कारक विचार में आ सकते हैं।* ***परिसमापन कार्रवाई में न्यायनिर्णयन को बचाव की प्रकृति और प्रतिवादी द्वारा उठाए गए विवाद की सीमा भी प्रभावित करती है। उसी समय पर, कंपनी के खिलाफ वसूली के उपचार की मांग करने की परिसीमा जारी रहती है। उक्त दोनों उपाय वैकल्पिक उपाय नहीं हैं।*** *अधिकतर मामलों में, अत्यधिक सावधानी के तौर पर, पक्षकार अन्य उपचार लागू करने हेतु एक उपचार पर अंतिम निर्णय आने तक की प्रतीक्षा नहीं करते हैं।"*

62. *गुरदीत सिंह एवं अन्य बनाम मुंशा सिंह एवं अन्य* (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि **"या समान प्रकृति का हेतुक"** शब्दों पर पहले के शब्दों **"क्षेत्राधिकार में दोष का"** के साथ समान रूप से विचार किया जाना आवश्यक होगा। इसलिए, जहां न्यायालय के पास कंपनी याचिका पर विचार करने का क्षेत्राधिकार था, परंतु वह ऐसा नहीं करता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायालय ने क्षेत्राधिकार की अपेक्षा के समान दोष के कारण आवेदन को मंजूरी नहीं दी।

63. इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने *यशवंत देवराव* (पूर्वोक्त) के ममाले में अभिनिर्धारित किया कि परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 का लाभ देकर

परिसीमा अवधि की गणना करते समय निर्णीत ऋणी के खिलाफ दिवालियापन कार्यवाही में बिताई गई अवधि का कोई अपवर्जन नहीं हो सकता है।

64. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 के तहत एक याचिका का उद्देश्य एक ऐसी कंपनी का परिसमापन करना है जो अपने ऋण को चुकाने में असमर्थ है या वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहती है। इस प्रकार यह ऋण वसूली के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। देय राशियों की वसूली अथवा देय राशि के एक भाग की वसूली कंपनी के समापन और परिसमापन के आनुषंगिक है। वास्तव में, वसूली योग्य बकाया राशियों की मात्रा भी परिसमापन से जुटाई गई राशि के अध्यधीन है जिसके लिए धन-वापसी की प्राथमिकता कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529क के अनुसार कामगारों और सुरक्षित ऋणदाताओं के बकाया राशियों के प्रति है।

65. **इसलिए, यदि न्यायालय प्राथमिकता वाले बकाया के चुकाए जाने के बाद कंपनी को परिसमापन का निर्देश देता है, तो वादी को उक्त याचिका में कथित बकाया राशि वसूलने का मौका मिलेगा।**

66. **इस प्रकार, एक *परिसमापन की कार्यवाही में,*** निर्धारण का दायरा इस बात तक सीमित है कि क्या कंपनी ***"अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ"*** है। **इस मुद्दे का उत्तर सकारात्मक रूप में दिया गया है क्योंकि ऋण की वसूली एक आनुषंगिक राहत है जो कंपनी के परिसमापन के बाद प्राप्त होगी। इस प्रकार, हालांकि, एक न्यायालय या न्यायाधिकरण, एक परिसमापन याचिका का निर्णय**

करते समय ऋण की वसूली का निर्धारण नहीं करता है, पर वसूली इसका एक परिणाम होगा।

67. **इसलिए, वसूली के लिए वाद और परिसमापन याचिका *एक समान कारण या समान प्रकृति की कार्यवाही हैं* क्योंकि परिसमापन याचिका के परिणामस्वरूप अंततः बकाया राशि की वसूली हो सकती है।**

68. **इस प्रकार, वादी, परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 के अंतर्गत, परिसमापन कार्यवाही में व्यतीत जनवरी, 2016 से 04.08.2017 तक की अवधि के अपवर्जन का हकदार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वादी का वाद अभी भी परिसीमा के अंतर्गत होगा।**

69. जैसा कि ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है, प्रतिवादी कंपनी में कथित शेष शेयरों के संबंध में, जिसका वादी हकदार है, वाद हेतुक पहली बार 08.09.2006 को उद्भूत हुआ जब शेयर वादी को जारी करने पर सहमति हुई थी। यह पुनः मार्च 2008 में उद्भूत हुआ जब वादा किए गए 3% शेयर उसे स्वीकार रूप से आवंटित किए गए थे। किसी भी कमी की शिकायत तब उत्पन्न हुई थी। यदि वादी का यह दावा स्वीकार कर भी लिया जाए कि यह अंततः 24.10.2012 को उसके इस्तीफे के दिन उद्भूत हुआ था, वर्तमान वाद केवल 19.02.2018 को दायर किया गया है। **इसलिए, भले ही जनवरी, 2016 से 04.08.2017 तक लगभग 20 महीने यानी डेढ़ साल की अवधि (यानी कंपनी याचिका को जारी रखने में बिताई गई अवधि) का अपवर्जन कर भी दिया जाए,**

तब भी, वर्तमान वाद तीन साल की अवधि के बाद दायर होने के कारण परिसीमा द्वारा बाधित है।

70. *दूसरा,* प्रतिवादी कंपनी के परिसमापन के लिए कंपनी याचिका जनवरी, 2016 में ही दायर की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने *जिग्नेश शाह बनाम भारत संघ,* (2019) 10 एससीसी 750 के मामले में अभिनिर्धारित किया कि *हालांकि यह स्पष्ट है कि परिसमापन कार्यवाही एक "सर्वबंधी " कार्यवाही है और वसूली कार्यवाही नहीं है, लेकिन जहां तक परिसमापन याचिका का संबंध है, परिसीमा शुरू होने का बिंदु व्यतिक्रम की तिथि होगी।* ऐसे मामलों में परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 137 लागू होगी जो आवेदन करने का अधिकार प्रोद्भूत होने से तीन साल की अवधि का प्रावधान करती है। कंपनी याचिका के लिए मुकदमा करने का अधिकार भी 24.10.2012 को प्रोद्भूत हुआ। **इसलिए, उक्त कंपनी याचिका भी परिसीमा द्वारा बाधित थी क्योंकि इसे व्यतिक्रम की तिथि से तीन वर्ष बाद जनवरी, 2016 में दायर किया गया था।**

71. एक बार जब परिसमापन याचिका स्वयं तीन वर्ष की अवधि के बाद की है, तो वादी द्वारा परिसमापन याचिका में बिताया गया समय, दावा की गई राशि की वसूली के लिए वादी की परिसीमा को नहीं बचा पाएगा। इसलिए, भले ही उस अवधि, जिसके दौरान वादी ने कंपनी याचिका को आगे बढ़ाने था, को छोड़ दिया जाए, तो भी वादी अपना मुकदमा परिसीमा अवधि के भीतर नहीं ला पाएगा।

<u>निष्कर्ष:</u>

72. पूर्ववर्ती चर्चाओं के मद्देनजर, अनुशीर्षक वाले दो आवेदनों की अनुमति दी जाती है, और वादी के वर्तमान वाद को परिसीमा द्वारा बाधित होने के कारण एतद्द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

73. तदनुसार, उपरोक्त शर्तों में आवेदनों का निपटान किया जाता है।

<u>सि.वा.(वाणिज्यिक) 668/2018 और अं.आ. सं. 4317/2021, 6002/2021, 7829/2021, 8684/2021, 17520/2022, 15042/2023</u>

74. अं.आ. सं. 6003/2021 और 8685/2021 में पारित आदेश के मद्देनजर, वर्तमान वाद को परिसीमा द्वारा बाधित होने के कारण एतद्द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

75. लंबित आवेदनों को भी खारिज किया जाता है।

(नीना बंसल कृष्णा)
न्यायाधीश

2 मार्च, 2024
एस.शर्मा

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*